बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक.........................

श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–446/2024, (757/19), तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त किये बिना वर्ग–03 एवं 04 के कर्मियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को अनुमोदित करने, न्यायालय निर्णय का हवाला देकर याचिकाकर्ता को अनुचित भुगतान करने का आदेश देने एवं अराजपत्रित तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्वास्थ्य सेवा संवर्ग नियमावली–2022 के सेवा शर्त की रूप रेखा तैयार करने में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से पूर्व में कमिटी के गठन हेतु अनुमोदित प्रस्ताव से इतर अन्य प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आरोपों के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–119 (5), दिनांक–01.02.2024 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–6381 दिनांक 24.04.2024 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–9261 दिनांक–12.06.2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1228 (5) दिनाक–29.08.2024 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री मिश्र के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

तदुपरांत श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप–पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर मामले की विस्तृत जाँच कराने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16125, दिनांक–06.10.2024 द्वारा श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। सचिव–सह–जाँच आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1372, दिनांक–02.09.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री मिश्र के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक–17158, दिनांक–11.09.2025 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के क्रम में श्री मिश्र का लिखित अभिकथन (दिनांक–24.10.2025) प्राप्त हुआ।

श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि:–

(i) श्री मिश्र द्वारा अपने लिखित अभिकथन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन तथ्यों का उल्लेख श्री मिश्र द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया, जिसके समीक्षोपरांत एवं गवाहों/साक्षियों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के उपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

(ii) श्री मिश्र का कहना है कि कार्य आवंटन आदेश के अनुसार प्रशाखा–04 के लिंक पदाधिकारियों के रूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग नामित नहीं रहे, इस कारण संचिकायें उन तक नहीं भेजी जाती थी, जो कि बिल्कुल भ्रामक है क्योंकि किसी विभाग के सभी प्रशाखाओं के लिए अपर मुख्य सचिव सर्वोच्च प्राधिकार होते हैं।

(iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि श्री मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पदस्थापन अवधि (वर्ष 2023) में निदेशक प्रमुख द्वारा विभाग को भेजे गये कर्मियों के स्थानांतरण/पदस्थापन प्रस्ताव को अपने स्तर से अनुमोदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त स्थानांतरण/पदस्थापन में भारी अनियमितता की गयी। कतिपय कर्मियों का स्थानांतरण गृह जिला तथा एक ही जिला अंतर्गत किया गया। कई स्थानांतरण प्रस्ताव में कर्मियों का गृह जिला अंकित नहीं होने के बावजूद भी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। स्पष्ट है कि जून–2023 की स्थानांतण में निदेशक प्रमुख एवं श्री मिश्र की मिलीभगत है। श्री मिश्र द्वारा गृह जिले में हुए अनेकों स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में अपने बचाव में कुछ नहीं कहा गया है।

(iv) निदेशालय में निदेशक प्रमुख मुख्य पदाधिकारी होते हैं, जो निदेशालय के मामले में निर्णय लेते हैं। लेकिन जब संचिका विभाग में आती है तो उस पर अपर मुख्य सचिव/सचिव द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्थानांतरण/पदस्थापन के मामले को श्री मिश्र के द्वारा अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में न देकर अपने मंतव्य के साथ निदेशालय को लौटा दिया जाना उचित नहीं है। संचिका में श्री मिश्र के द्वारा स्थानांतरण आदेश को अपने स्तर से अनुमोदित किया गया, जबकि स्थानांतरण आदि कार्य के अनुमोदन हेतु श्री मिश्र को विभाग ने प्राधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार यह मामला Deliberate obfuscation of authority एवं beyond jurisdication वाला है तथा पूर्णतः अवैध है।

(v) अवैध रूप से नियुक्त स्व० उदय शंकर प्रसाद के परिजन को समादेश याचिका सं0–8393/2009 में पारित आदेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर नहीं कर उनके परिजन को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मो0–33,90,824/– रूपये भुगतान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इनके द्वारा किये गये भुगतान के मामले में गठित आरोप से मुक्त होने का तर्क इस आधार पर दिया गया है कि स्व० उदय शंकर प्रसाद के परिजन को जो भुगतान हुआ है वह एक वर्ष से भी अधिक की अवधि व्यतीत हो गयी है।

(vi) अराजपत्रित तकनीकी एवं गैर तकनीकी (स्वा०वि०) सेवा संवर्ग नियमावली, 2022 के स्वरूप, सेवा शर्त की रूपरेखा तैयार कर नियमावली बनाने हेतु अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में 04 सदस्यों की समिति गठन करने के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका सं0–4/विविध–06–65/2021 के पृ0–11/टि० पर प्राप्त किया गया, परन्तु उक्त तथ्यों को छुपाकर पार्ट संचिका के माध्यम से संचिका सं0–4/विविध–06–65/2021 (खंड–1) संधारित कर मूल संचिका सेवा शर्त के नियमावली में 08 सदस्यों द्वारा समिति के गठन करने के प्रस्ताव पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। जबकि नीतिगत मामले में निर्णय लेने हेतु अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ही सक्षम प्राधिकार है। इस कारण से विषयगत मामले में विभाग को समादेश याचिका–7437/2023 में असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तथा दिनांक 06.11.2023 को पारित आदेश में इस कृत्य के लिए संबंधित पर कार्रवाई करने का आदेश है।

श्री मिश्र ने लिखित अभिकथन में उक्त आरोप को निराधार बताते हुए आरोप से मुक्त करने का तर्क दिया गया है, परन्तु इन्होंने समादेश याचिका सं0–7437/2023 में दिनांक–06.11.2023 को पारित न्यायादेश में संबंधित पर जो कार्रवाई करने का आदेश दिया गया उसके संबंध में कुछ नहीं बताया गया है, अतएव श्री मिश्र का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं मंतव्य में यह स्पष्ट किया गया है कि श्री मिश्र के विरुद्ध आरोप–पत्र में लगाये गये अवचार या कदाचार के लांछनों से संबंधित सभी आरोप प्रमाणित होता है। श्री मिश्र के विरुद्ध कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन का आरोप जो बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मिश्र के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–446/2024, (597/2023), तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध निम्न दंड विनिश्चित किया गया :–

(1) निन्दन (आरोप वर्ष 2023–24)।

(2) 04 (चार) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–22610, दिनांक–05.12.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4583, दिनांक–13.02.2026 द्वारा परामर्श प्राप्त हुआ। जिसमें आयोग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का परामर्श दिया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के उक्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की पुनः समीक्षा की गयी। सम्यक विचारोपरांत उक्त अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मिश्र के विरूद्ध "04 (चार) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–446/2024 (757/19), तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को "**04 (चार) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक**" का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

(12)
ओडिट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–25/2023 सा०प्र० 4669 / पटना–15, दिनांक 11.3.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव–सह–जाँच आयुक्त, गन्ना उद्योग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, विश्वैशरैया भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–446/2024, (597/2023), उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई.टी. मैनेजर (शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.3.26
सरकार के अवर सचिव।